## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 845 / 2020

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. विशाल कुमार पुत्र पूर्णमल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. प्रीस कुमार पुत्र पूर्णमल जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता मैना देवी पत्नी स्व0 पूर्णमल जाति निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. मैना पत्नी स्व0 पूर्णमल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– वादीगण

**बनाम्**

1. श्योचन्द पुत्र बुधर जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. कुशल्या उर्फ कौशल्या पुत्री श्योचन्द पत्नी इमीचन्द जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा।
4. उर्मिला पुत्री श्योचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी जोधपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
5. धापा पुत्री श्योचन्द पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासर अधिवक्ता **वादीगण**
श्री अन्जनी कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
परोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 12/4/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 130 / 115 के ख0न0 38 / 2 की 7.2460है0 भूमि व खसरा न0 44 / 2 की 14.2780है0 भूमि कुल 21.5240है भूमि में से 11161 / 43080 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39 / 28 के खसरा न0 97 की 8.1320है0 व खसरा न0 99 की 3.9960है0 भूमि कुल 12.1280है0 भूमि में से 4715 / 12128 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीण स0 1, 3 ता 5 व 7 अपना उक्त वादी भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 काबिज है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार रोही मौजा नाथोवाला के खाता स0 130/115 की वाद भूमि में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 दोनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा वादीगण स0 2 ता 4 तीनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 6 अकेली 1/7 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कर्मशाना के खाता स0 39/28 की वाद भूमि में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 दोनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा वादीगण स0 2 ता 4 तीनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 6 अकेली 1/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 व 7 ने दावा की सभी मदों को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 8 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा कर्मशान सम्वत 2020–2038 ईएक्सपी–1,रोही मौजा भगवानसार सम्वत 2029–2038 ईएक्सपी–2, रोही मौजा कर्मशाना सम्वत 2075–2078 ईएक्सपी–3, रोही मौजा बास नाथोवाला सम्वत 2076–2079 ईएक्सपी–4, मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्णमल आदि दस्तावेज पेश किये। प्रतिवादी स0 6 को वकील वादी ने तर्क किया की उनका जो भी हक हिस्सा है दिया जा रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण स 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीण स0 1, 3 ता 5 व 7 अपना उक्त वादी भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 व 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल जवाब पेश कर चुके है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 के ख0न0 38/2 की 7.2460है0 भूमि व खसरा न0 44/2 की 14.2780है0 भूमि कुल 21.5240है भूमि में से 11161/43080 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 के खसरा न0 97 की 8.1320है0 व खसरा न0 99 की 3.9960है0 भूमि कुल 12.1280है0 भूमि में से 4715/12128 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना का सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 व 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 के ख0न0 38/2 की 7.2460है0 भूमि व खसरा न0 44/2 की 14.2780है0 भूमि कुल 21.5240है भूमि में से 11161/43080 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 के खसरा न0 97 की 8.1320है0 व खसरा न0 99 की 3.9960है0 भूमि कुल 12.1280है0 भूमि में से 4715/12128 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातों की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातो में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 दोनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा वादीगण स0 2 ता 4 तीनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 6 अकेली 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सत्यनारायण R.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 845/2020

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. विशाल कुमार पुत्र पूर्णमल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. प्रीस कुमार पुत्र पूर्णमल जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता मैना देवी पत्नी स्व0 पूर्णमल जाति निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. मैना पत्नी स्व0 पूर्णमल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– वादीगण

**बनाम्**

1. श्योचन्द पुत्र बुधर जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. कुशल्या उर्फ कौशल्या पुत्री श्योचन्द जाति जाट इमीचन्द जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा।
4. उर्मिला पुत्री श्योचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी जोधपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
5. धापा पुत्री श्योचन्द पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 845 सन 2020 निर्णय दिनांक.......** 12/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा व वकील प्रतिवादीगण श्री अन्जनी कुमार व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 के ख0न0 38/2 की 7.2460है0 भूमि व खसरा न0 44/2 की 14. 2780है0 भूमि कुल 21.5240है भूमि में से 11161/43040 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 के खसरा न0 97 की 8.1320है0 व खसरा न0 99 की 3.9960है0 भूमि कुल 12.1280है0 भूमि में से 4715/12128 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातो में वादी स0 1 ... बहिब 6/14 हिस्सा के तथा वादीगण स0 2 ता 4 तीनो बहिब 6/14 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 6 अकेली 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested